रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० ए०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 25 मार्च, 1997/4 चैत्र, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 25 मार्च, 1997

संख्या विधायन/विधेयक/1-16/97-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग

847-राजपत्र/97-25-3-97—1,249. मूल्य : 1 रुपया।

(संशोधन) विधेयक, 1997 (1997 का विधेयक संख्यांक 4) जो आज दिनांक 25 मार्च, 1997 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/-,
सचिव ।

1997 का विधेयक संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 1997

(विधान सभा में पुर:स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997 है ।

धारा 8 का संशोधन ।

1974 का 18

2. हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 में,—

(क) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) में "भूमिहीन व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्, ",प्राकृतिक विपत्ति पीड़ित व्यक्ति" चिन्ह और शब्द जोड़े जाएंगे; और

(ख) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "प्राकृतिक विपत्ति" अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत, बाढ़, भूकम्प, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बर्फ़ानी तूफ़ान, ओलावृष्टि, अग्नि, अतिवृष्टि, मेघ विस्फोट, आंधी, बिजली द्वारा कारित विपत्ति भी है ।"

धारा 8-अ का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 8-अ में "किसी व्यक्ति को पट्टे पर देकर" शब्दों के स्थान पर "किसी व्यक्ति को अन्तरण द्वारा चाहे पट्टे या अदान-प्रदान के रूप में हो," शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 में उन व्यक्तियों को, जिनकी भूमि या घर/गौशाला या कोई अन्य भवन/कृषि के अनुसेवी संरचना प्राकृतिक विपत्ति के कारण क्षतिग्रस्त होती है, और जिन्हें ठीक या पुन: स्थापित नहीं किया जा सकता है, के आदान-प्रदान द्वारा भूमि का आबंटन करने के लिए कोई उपबन्ध विद्यमान नहीं है। इसी प्रकार, अधिनियम में किसी प्राइवेट व्यक्ति जिसकी भूमि को सरकार लोक-हित में अर्जित करने का आशय रखती है, को आदान-प्रदान के रूप में भूमि उपलब्ध करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ-साथ सरकार को उसमें निहित भूमि में से आदान-प्रदान द्वारा प्राइवेट स्वामियों के साथ लगती भूमि दे करके लोक संस्थाओं/कार्यालयों को भूमि उपलब्ध करवाने में भी कठिनाई हो रही है। अत: उक्त अधि-नियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

ठाकुर गुलाब सिंह,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
25 मार्च, 1997

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 4 of 1997.

THE HIMACHAL PRADESH VILLAGE COMMON LAND VESTING AND UTILISATION (AMENDMENT) BILL, 1997

(AS INRTODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Village Common Land Vesting and Utilisation Act, 1974 (*Act No.* 18 *of* 1974)

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

18 of 1974

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Village Common Land Vesting and Utilisation (Amendment) Act, 1997.

Amendment of section 8.

2. In section 8 of the Himachal Pradesh Village Common Land Vesting and Utilisation Act, 1974 (hereinafter called the principal Act),—

(*a*) in sub-section (1), in clause (*b*), in sub-clause (*i*), after the words "landless person", the sign and words ",a victim of natural calamities" shall be added; and

(*b*) at the end, the following explanation shall be added, namely :—

"*Explanation.*—For the purpose of this section, the expression 'natural calamities' shall mean and include calamities caused by floods, earthquakes, land slides, avalanches, snow-storms, hail-storms, fire, excessive rains, cloud burst, wind storms and lightening.".

Amendment of section 8-A.

3. In section 8-A of the principal Act, for the words "by lease to any person", the words "by transfer whether by way of lease or exchange to any person" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The existing provisions of the Himachal Pradesh Village Common Land Vesting and Utilisation Act, 1974 do not provide for allotment of land in exchange to those persons whose land or house/cowshed or any other building/structure subservient to agriculture are damaged due to natural calamities and cannot be reclaimed/restored. Similarly, there is no provisions in the Act to provide land by way of exchange to any private person whose land Government intend to acquire in the public interest. Apart from this the Government is facing problems to provide land vested in it in exchange to the institution/offices wherever land of private owner adjoining to it to be used in exchange for the land vested under the Act. This has necessitated the amendments in the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

THAKUR GULAB SINGH,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
The 25th March, 1997.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।